न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 394–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–12–08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 80/2005–06/अपील.

राधाचरण पुत्र मथुरालाल
निवासी ग्राम बरखेडा खुर्द
तहसील चाचौड़ा जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, गुना .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा द्वारा कलेक्टर, गुना को इस आशय का प्रतिवेतदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बरखेडा खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 113/1 रकबा 1.673 हेक्टेयर के पट्टाधारी प्रेमनारायण एवं सर्वे कमांक 113/2 रकबा 1.657 हेक्टेयर के पट्टाधारी आवेदक राधाचरण उप्रेती द्वारा पट्टे

की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, और उक्त भूमियों पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। कलेक्टर द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण कमांक 1/अ–39/2003–04 दर्ज कर दिनांक 24–5–2005 को आदेश पारित किया जाकर पट्टा निरस्त करते हुए भूमि शासकीय घोषित की जाकर आवेदक के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–12–08 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर पट्टे पर दी गई थी, जिस पर समय के प्रभाव से वह भूमिस्वामी हो गया, इस तथ्य पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से ही स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है, इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा विधि विपरीत निष्कर्ष निकाला जाकर पट्टा निरस्त करने में त्रूटि की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर आपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है, इस संबंध में आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और नायब तहसीलदार द्वारा अवैध कब्जाधारियों पर 250/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है एवं आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य दिलाया गया है ।

(4) आवेदक को आदेश दिनांक 11–4–1986 से भूमिस्वामी अधिकार दिये गये थे तथा अवैध आधिपत्यधारियों द्वारा आपत्ति की गई थी, इस स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में विधि की भूल की गई है ।

(5) आवेदक को वर्ष 1976 में प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दी गई है, और 23 वर्ष पश्चात आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है ।

(6) कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक द्वारा अवैध आधिपत्यधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष अवैध आधिपत्यधरियों के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

(7) आवेदक द्वारा किन्हीं कारणवश पट्टे को आगे निरंतर नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों को अभिलेख दुरूस्त करने की कार्यवाही स्वतः करना चाहिए थी । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त को आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए कलेक्टर द्वारा आवेदक का पट्टा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा 10 वर्ष के लिए वर्ष 1976 में दिया गया है, और आवेदक द्वारा 10 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि के पट्टे को रिन्युवल नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक को जिस ग्राम बरखेडा खुर्द स्थित भूमि का पट्टा दिया गया है, उस ग्राम में वह निवास भी नहीं करता है, और इसी कारण प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके विरूद्ध निर्णय पारित हुआ है,

और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । अतः उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा आवेदक का पट्टा निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–08 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर